"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014— माघ 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-54/2013/वाक/पांच (05). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24) दिनांक 31-3-2011 में दिनांक 01-04-2011 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 के संबंधित कॉलम (4) में उल्लेखित शर्तें एवं निर्बन्धन के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाय :-

"या

जब कॉलम (2) में वर्णित वस्तु का प्रवेश, किसी पंजीकृत व्यवसायी द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र में विक्रय हेतु कराया जाता है तथा ऐसे माल का विक्रय उक्त व्यवसायी द्वारा, किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी को संलग्न घोषणा के विरुद्ध इस शर्त के साथ किया जाता है कि क्रेता द्वारा उक्त वस्तुओं का उपभोग अथवा उपयोग कच्चे माल के रूप में स्टील पाईप के निर्माण हेतु किया जाएगा."

(2) उक्त अधिसूचना के अंत में निम्नलिखित घोषणा का प्रारूप जोड़ा जाय :-

"प्रारूप

घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-24-2011-वाक-पांच (24) दिनांक 31-03-2011)

मैं .... (नाम एवं पता) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... गृहीता, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यवसायी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि क्रय किया गया माल स्टील पाईप के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिये है.

क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय बिल/इन्वाइस का क्रमांक एवं दिनांक (1)	क्रय किये गये माल का विवरण (2)	मात्रा (3)	मूल्य (रुपए) (4)

कुल मूल्य (अंकों में) रु. .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम ...."

---

(3) उक्त अधिसूचना में उल्लेखित शर्त एवं निर्बन्धन का संशोधन इस शर्त के साथ किया जाता है कि यदि किसी व्यवसायी द्वारा स्टील स्ट्रीप एवं स्टील क्वाईल पर प्रवेशकर जमा कर दिया गया है, तो उसकी वापसी नहीं दी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक एफ-10-54/2013/वाक/पांच (05). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-54/2013/वाक/पांच (05), दिनांक 30-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th January 2014

NOTIFICATION

No. F-10-54/2013/CT/V (05).— In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby makes the following amendment in Notification No. F-10/24/2011/CT/V (24) dated 31-03-2011 with effect from 01-04-2011, namely :-

AMENDMENT

In schedule to the said notification against S. No. 1 in column (4) in addition to existing restrictions & conditions following shall be added :-

"OR

When the goods specified in column (2) are entered into a local area by a dealer liable to pay tax under the Entry Tax Act, for sale of such goods are accordingly sold by him to another such dealer against a declaration in the appended Form to the effect that the goods purchased are for consumption or use as raw material in the manufacture of steel pipes."

(2) After the end of said notification, the following declaration form shall be added :-

"Form

Declaration

(Under C. T. D. Notification No. F-10-24-2011-CT-V (24) dated 31-03-2011)

I, ... (Name and address) holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) hereby declare that I have purchased goods, particulars of which have been given below from .... (Name and address of the dealer) holding registration certificate No. .... under the said Act.

2. I further declare that the goods being purchased are for use as raw material in the manufacture of steel pipe.

Particulars of goods

Particulars of purchase bill/ invoice No. and Date (1)	Description of goods purchased (2)	Quantity (3)	Value (Rs.) (4)

Total Value (in figure) Rs. .... (in words) Rs. .... Only

Place ....
Date ....

Signature ....
Status ...."

---

(3) The restriction & condition specified in column (4) of S. No. 1 is amended subject to the condition that no refund of tax shall be made if the dealer has paid tax on steel strips & steel coils.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित.